

अत्यावश्यक

पत्र सं०- ब16/विविध-206/2014 - 125 /वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/शिक्षा विभाग/
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति कल्याण /ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार,पटना ।

पटना, दिनांक-

04/02/2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्थानीय निकायों का बजट प्रावधान
संबंधी पूरक बजट तैयार करने हेतु सामग्री भेजने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग का पत्रांक 859 दिनांक 15.09.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय पत्र संख्या 859 दिनांक 15.09.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्थानीय निकायों का बजट प्रावधान संबंधी पूरक बजट तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया था। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में स्थानीय निकायों के लिए पूरक बजट वित्त विभाग की तकनीकी सहायता से पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किया जाना है, परन्तु पंचायती राज विभाग ने अपने पत्र संख्या 7885 दिनांक 21.10.2014 द्वारा स्टाफ एवं क्षमता की कमी का उल्लेख करते हुए इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार विधान मंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है जिसमें वर्ष 2015-16 के बजट अभिलेखों के साथ नगर निकायों का पूरक बजट का उपस्थापन विधान मंडल में दिनांक 25.02.2015 को होना है। इस परिदृश्य में प्रसंगाधीन बजट को 14.02.2015 तक अन्तिम रूप दिया जाना अपेक्षित है ताकि पुस्तिका का ससमय मुद्रण कराया जा सके।

अतएव उक्त संदर्भ में अनुरोध है कि दिनांक 10.02.2015 तक संलग्न प्रपत्र में आवश्यक सूचना बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा इस संदर्भ में दिनांक 11.02.2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।


विश्वसभाजन

(रामेश्वर सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- ब16/विविध-206/2014 - 125 /वि0 पटना, दिनांक 04/02/2015

प्रतिलिपि- सहायक बजट नियंत्रक/ सभी लेखा पदाधिकारी (बजट)/ संबंधित सहायकगण (बजट)/प्रणाली विश्लेषक/ वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर डालते हुए सभी संबंधित विभागों को ई-मेल भी कर दिया जाए ।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

